नैतिकशून्य कर्म

यह स्पष्ट है कि आचरणशास्त्र नैतिकता का विज्ञान है तथा मानव - आचरण के आदर्श का विज्ञान है। फिर भी कुछ ऐसे कर्म भी हैं - जिसपर नैतिक निर्णय देना संभव नहीं है। वे नैतिकशून्य कर्म के अन्तर्गत आते हैं। नैतिक शून्य कर्म की व्याख्या करने से पहले तीन प्रत्ययों पर विचार करना आवश्यक है : नैतिक, ~~नैतिक~~ नीतिशून्य और अनैतिक। इन्हीं तीनों के अनुरूप कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं : नैतिक कर्म (M.A), अनैतिक कर्म (Immoral A), नीतिशून्य कर्म (Non-moral A)

आचरणशास्त्र में 'नैतिक' प्रत्ययों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थात् नैतिक का अर्थ है नैतिक गुणसम्पन्न। जिन कर्मों का नैतिक निर्णय हो सके तथा जिन्हें सत् या असत्, उचित या अनुचित, पाप या पुण्य कहा जा सके, उन्हें नैतिक कर्म कहते हैं। नैतिक कर्म के विपरीत नीतिशून्य कर्म ~~के~~ होते हैं। नीतिशून्य कर्म वे हैं जो नैतिक गुणों (जैसे - शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित, पाप और पुण्य) से रहित हैं। इन कर्मों पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है; नीतिशून्य का अर्थ अनैतिक नहीं है। अनैतिक का अर्थ है जो नैतिक दृष्टिकोण से अशुभ या अनुचित है। लेकिन नीतिशून्य कर्म नैतिकता के क्षेत्र के बाहर है। ऐसे कर्मों में इच्छा और संकल्प का अभाव होता है। अर्थात् अनैच्छिक कर्म ही नीतिशून्य कर्म कहे जाते हैं।

नीतिशून्य कर्म के प्रकार :

निम्नलिखित कर्म नीतिशून्य के अन्तर्गत आते हैं :

1) निर्जीव पदार्थों का कर्म (Actions of inanimate things)
निर्जीव पदार्थों का कर्म नीतिशून्य कर्म के अन्तर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें इच्छा शक्ति का अभाव रहता है। जैसे पर्वत, जाड़ा, गर्मी इत्यादि की क्रियाओं पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

2) अबोध बालकों के कर्म (Actions of a child)
अबोध बालकों के कर्म पर भी नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बालकों के कर्म प्रेरणा, अभिप्राय; इच्छा संकल्प से रहित होते हैं। I.P.C sections 82-84 के अन्तर्गत "Nothing is an offence which is done by a

under seven years of age." यदि कोई बालक को कीमती वस्तु को तोड़ देता है या किसी व्यक्ति के साथ गलत शब्द का व्यवहार कर दे, तो उसके कर्म पर नैतिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अबोध बालकों के कर्म को नीतिशून्य कर्म के अन्तर्गत रखते हैं।

3) पागलों एवं विक्षिप्त के कर्म (Actions of insane person)
ऐसे व्यक्तियों के कर्मों के पीछे मानसिक संतुलन का अभाव चेतना, बुद्धि एवं ज्ञान का प्रखर रूप पाया जाता है। इसलिए इनके कर्म नीतिशून्य माने जाते हैं। In I.P.C it is said "Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing either wrong or contrary to law." यदि कोई मूर्ख या पागल किसी की हत्या कर दे तो उसे अपराधी नहीं माना जाता है, उसके कर्म को नैतिक दृष्टिकोण से उचित या अनुचित नहीं कहा जाता है।

4) प्रतिक्षेप क्रियाएँ (Reflex Action) – ऐसी क्रियाएँ भी नीतिशून्य क्रियाएँ कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएँ व्यक्ति बिना सोचे विचारे सहज रूप से करता है। छींकना, आँखों का झपकना आदि इसी प्रकार की क्रियाएँ हैं। इस प्रकार की क्रियाएँ स्वयं सहज रूप से होते हैं। ऐसी क्रियाओं में इच्छा या संकल्प का अभाव रहता है। इन क्रियाओं को नैतिक निर्णय के बाहर रखा गया है।

5) अनियमित क्रियाएँ (Random actions) – ये क्रियाएँ आकस्मिक क्रियाएँ हैं। ये क्रियाएँ नीतिशून्य कही जाएंगी, क्योंकि इनमें नैतिक गुणों का अभाव होता है। इन्हें करने के लिए व्यक्ति को न तो संकल्प करना पड़ता है और न कोई परिश्रम करना पड़ता है। ये कर्म व्यक्ति द्वारा यों ही आकस्मिक रूप से होते हैं। जैसे – यदि किसी व्यक्ति के हाथ से घड़ी अचानक छूटकर गिर जाए और वह फट जाए। इसके लिए कर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

6) सहज क्रियाएँ – (Instinctive Action) – ये क्रियाएँ नीतिशून्य हैं। इन पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। जॉन डूवी ने सहज क्रिया की परिभाषा देते हुए कहा है कि,

"An instinctive act may be defined as one to which an individual feels himself impelled without knowing the end to be accomplished, yet with ability to select the proper means for its attainment."
किसी भयावह घटना को देखकर भयभीत हो जाना, किसी नाटक के शोकपूर्ण दृश्य से आँखों में आँसू आ जाना ये सहज क्रियाएँ हैं, क्योंकि इनमें इच्छा या संकल्प का अभाव पाया जाता है।

6) विचार प्रत्यावर्ती क्रियाएँ (Idea-motor actions)
ये क्रियाएँ भी नीतिशून्य कहलाती हैं। क्योंकि ऐसी क्रियाओं में भी इच्छा या संकल्प का अभाव पाया जाता है। जैसे- खिलाड़ियों को देखकर उसकी जैसी क्रियाएँ करना, किसी किसी संगीतज्ञ के संगीत सुनकर झूम उठना आदि इसी प्रकार के कर्म हैं। इन क्रियाओं पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

7) दबाव या बाध्यता से वशीभूत होकर किये गए कर्म- (Action done under pressure or compulsion)
ऐसी क्रियाएँ भी नीतिशून्य क्रियाएँ कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं में इच्छा तथा संकल्प की स्वतंत्रता का अभाव होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पिस्तौल दिखाकर उससे कुछ अनुचित कार्य करवाना। इस व्यक्ति का कार्य नीतिशून्य है, क्योंकि वह स्वेच्छा से नहीं, बल्कि पिस्तौल के डर से काम करता है। इसलिए, इन्हें नीतिशून्य कहा जाता है।

8) पौधों या पशुओं के कर्म- इनमें आत्मचेतना और बुद्धि का अभाव पाया जाता है। जैसे यदि कोई कुत्ता किसी को काट ले या किसी वृक्ष के गिर जाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे कर्मों पर नैतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इन्हें नीतिशून्य कर्म कहते हैं।

9) सम्मोहितावस्था में किये गए कर्म (Actions done under hypnotic pressure). ऐसे कर्म भी नीतिशून्य कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति सम्मोहितावस्था में कोई कर्म करता है तब इस कर्म में उसका अपना संकल्प या इच्छा नहीं रहती। वह तो सम्मोहक द्वारा किए गए आदेशों का यन्त्रवत पालन करता है। यहाँ कर्त्ता को न चेतना रहती है और न बुद्धि। उसे उचित या अनुचित साधनों का ज्ञान

अतः निष्कर्षतः हम कह सकते है कि उपर्युक्त प्रकार के कर्मो पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इनमें इच्छा या संकल्प का आभाव रहता है। ये नीतिशून्य कर्म में नैतिक गुणों का आभाव पाया जाता है। इसलिए पी० बी० भट्टजी ने ठीक ही कहा है,

"The word 'non-moral' means that which is devoid of moral quality." नीतिशून्य कर्मो के विषय में नैतिक औचित्य या अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता।